CONSCIENTIA

हमारे विषय में

'कन्सेंािया ' लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'ज्ञान'।

कन्सेंािया स्थापन, विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने और कार्य संचालन करने, जैसी कम्पनियों की सभी जरूरतों के लिए समाधान प्रदान करने वाला एकल स्थान है। कन्सेंािया कर्पोरेट कानूनी, सलाहकार, नियामक और वित्तीय सेवाओं में माहिर हैं।

कन्सेंािया भारत में व्यवसाय स्थापित करने की इच्छुक उद्यमियों और कंपनियों के लिए कर्पोरेट सेवाएं प्रदान करता है। हम व्यापार सलाहकार सेवाओं से लेकर भारत में कंपनी के स्थापन तक के लिए समाधान प्रदान करते हैं।

हमारे पास जापानी व्यापारिक जरूरतों और कानूनी आवश्यकताओं के लिए एक जापानी राष्ट्र सहित एक समर्पित टीम है।

हमारा उद्देश्य और दृटिकोण

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य ''करपोरेट सेक्टर को निगमित वैधानिक सहायता सेवाएं, अनुपालन प्रबंधन सेवाएं और नियामक सेवाएं प्रदान करना है और अच्छे निगमित प्रशासन और सांविधिक अनुपालन को सुनिश्चित करके प्रभावी प्रणाली और नियंत्रण लागू करना है''।

दृकिोण

हमारा दृटिकोण ''भारत में नियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा प्रारूपित उद्देश्यों और नियमों का पालन करने में कारपोरेट सेक्टर की सहायता करना है''।

कन्सेंािया अपने ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान करता है। समूह को मोटे तौर पर निम्नलिखित दो खंडों में स्थापित किया गया है :

कन्सेंािया कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (सीसीपीएल) की स्थापना 2006 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में निगमित वैधानिक अनुपालन, सचिवीय, वाणिज्यिक और नियामक सेवाओं से सम्बंधित प्रतिबद्ध वैधानिक पेशेवरों द्वारा की गई थी।

कन्सेंािया वैधानिक सहयोगी (सीएलए) ग्राहकों को कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करता है। टीम में योय पेशेवर ाामिल हैं जो ग्राहकों की सहायता करेंगे और एक त्वरित प्रतिक्रिया के साथ वैधानिक बैक ऑफिस के रूप में कार्य करेंगे। हम मुकदमेबाजी और गैर मुकदमेबाजी क्षेत्रों दोनों में कानूनी सेवाएं

CONSCIENTIA

प्रदान करते हैं, और ग्राहकों की विभिन्न व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुकूल कानूनी सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं।

हमारी प्रदत्त सेवाएं

- कर्पोरेट कार्य मंत्रणा
- भारत में कंपनी की संरचना
- कर्पोरेट कानूनी सलाहकार और सहायता सेवाएं
- अनुबंध और समझौता
- कर्पोरेट सचिवीय अनुपालन
    - कार्य निदेशक मंडल से संबंधित
    - कंपनी रजिस्ट्रार के साथ फार्म और रिटर्न भरना
    - वैधानिक रजिस्टरों और मिनट पुस्तकों का प्रबंधन
    - कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अनुपालन
- बैंकिंग/वित्तीय सेवा प्राप्त करने में मार्गर्दान
- आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) और फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) से संबंधित सेवाएं
- आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) से संबंधित मामले – ट्रेडमार्क और कपीराइट पंजीकरण
- लेखा और वेतन निधि सेवाएं
- वैधानिक और नियामक सेवाएं
- विभिन्न विधियों के तहत पंजीकरण
- श्रम कानून अनुपालन
- आरओसी (कंपनियों के रजिस्ट्रार)/आरबीआई/अन्य सरकारी विभागों से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन
- कर्पोरेट संरचना और पुनर्गठन पर सलाह
- ग्राहकों के कानूनी विभागों को गृह समर्थन प्रदान करना
- कर्पोरेट कर योजना और प्रबंधन पर सलाह

कन्सेंशिया की टीम उच्च पेशेवर मानकों के साथ व्यक्तिगत ष्टिकोण को जोड़ती है और ग्राहकों को व्यापक कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करती है। हम कानूनी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध

CONSCIENTIA

कराते है और व्यापार और वित्त के सभी कानूनी पहलुओं का प्रबंधन करते हैं। 2006 में अपनी स्थापना के बाद कन्सेंाियिा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड अपने ग्राहकों के लिए प्रतिबद्ध पेशेवर सेवाएं प्रदान कर रहा है और अपने ग्राहकों के रूप में बड़ी कंपनियों से जुड़ गया है। हम भारत के बेंगलौर – सिलिकन वैली पर आधारित हैं।

हमारे कार्य

वर्तमान में कन्सेंाियिा के कार्यालय बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद और मदुरई में है। जल्द ही दिल्ली और मुंबई में कार्यालय खुलेंगे।

प्रबंधन

हमारे प्रबंधन में कानूनी वाणिज्यिक और विनियामक सेवाओं में अनुभवी योय पेशेवर ाामिल हैं

के.वी. ओमप्रकाश, बीएल, एसीएस, एमडीबीए (वित्तीय) – संस्थापक सदस्य

पुणे के **सिम्बयासिस्** एसआईएमएस) से वित्त में बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिप्लोमा प्राप्तकर एक कंपनी के वकील और भारत के कंपनी सचिव संस्थान ;आईसीएसआईद्ध के सह सदस्य हैं। उनके पास 1989 के बाद से कानूनी पेशे और आईटी उद्योग में 24 से अधिक सालों का अनुभव है और उन्हें कर्पोरेट विधान और सचिवीय, अनुपालन प्रबंधन, वाणिज्यिक और जोखिम प्रबंधन, निगमित प्रशासन, प्रतिभूति प्रबंधन, कर्पोरेट वित्त और पुनर्गठन, विदेशी सहयोग/संयुक्त उद्यम अनुबंध, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिनिधित्व और बातचीत और व्यापक संपर्क और समझौता वार्ता और नियामक एजेंसियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, आरओसी, एसटीपीआई, ईपीजेड और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के साथ व्यापक सम्पर्क और बातचीत करने का भी अनुभव है।

एस. राघवन, बी कॉम, एसीएस – संस्थापक सदस्य

यह एक अभ्यस्त कंपनी सचिव, भारत के कंपनी सचिव संस्थान ;आईसीएसआईद्ध सह सदस्य और बंगलौर विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। 1989 के बाद से उन्हें भारत में डिजिटल इक्वीप्मेंट, कम्पैक कम्प्यूटर और हेवलेट पैकार्ड जैसी प्रमुख कंपनियों से बीस से अधिक सालों का अनुभव हैं। उसने लेखा संबंधी अनुपालन, रिपोर्टिंग और आपरेशनल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान और संबंधित अनुपालन, लागत लेखा परीक्षा, कर्पोरेट सचिवीय, अनुपालन प्रबंधन, निगमित प्रशासन, कर्पोरेट वित्त और पुनर्गठन, ट्रांसफर प्राइसिंग, क्रेडिट कंट्रोल और प्राप्य प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है।

सिम्बयासिस्